

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत**

& Fax No. 05965-230034

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 1211/02


दिनांक :- 09/09/2019

विषय:- जिला योजना के अन्तर्गत तवामोड़-कोटअमोड़ी मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव संख्या (36039/2018)
संदर्भ:- ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 17.08.2019

Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, Part I. Please rectify accordingly.	उक्त मार्ग में एक ही ग्राम कोट अमोड़ी लाभान्वित हो रहा है। जिसमें 0.455 हे० सिविल भूमि कोट अमोड़ी की प्रभावित हो रही है तथा 0.11 हे० मलुवा निस्तारण कुल 0.565 हे० वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। बी-2.3 एव बी-2.4 की फार्म ए पार्ट-1 में अंकित कर दिया गया है।
Employment generation detail has not been filled at section E in Form A, Part I.	सैक्सन ई फार्म ए पार्ट-1 में परमानेंट रोजगार शून्य दर्शा दिया गया है।
Since felling of the banj. tree involve in this proposal, hence Conservator's SIR is required. Kindly upload SIR at Para-15 in form A, Part II.	सम्बन्धित बिन्दु में वन संरक्षक द्वारा आख्या दी जानी है।
User agency may upload documents related to all benefited village with benefited population in Form A, Part I	मार्ग निर्माण से मात्र कोट अमोड़ी ग्राम लाभान्वित हो रहा है जो कि फार्म ए पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
NOC of villages has been uploaded in the place of Tree list as in Form A, Part II.	सुधार कर दिया गया है।
Bar chart detail has not been uploaded as additional information in Form A, part II.	फार्म ए पार्ट-11 में बार चार्ट डिटेल अपलोड कर दी गयी है।
Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted	इस कार्यालय के पत्रांक 1483/2 सी० दि० 26.09.2018 द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रति नोडल कार्यालय में 3 प्रतियों में उपलब्ध करा दी गयी है।
User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I.	मार्ग की के०एम०एल० पॉलीगन के रूप में आई०टी० सेल देहरादून से तैयार कर अपलोड की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उक्तानुसार।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत


अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत